



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 1 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 10, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 979/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(141)-2020

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-229

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा 1 सितम्बर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती हैं, जिस तारीख को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) की धारा 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 979/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(141)-2020, dated September 1, 2020 :

No. . 979/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(141)-2020

Dated Lucknow, September 1, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (U.P. Act no. 5 of 2020), the Governor, hereby appoints the 1st day of September, 2020, as the date on which the provisions of section 10 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (U.P. Act no. 5 of 2020), shall come into force.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 237 राजपत्र-2020-(635)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 43 सा0 राज्य कर-2020-(636)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।